तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/767/2000/श्रीगंगानगर दिलीप सिंह बनाम रूकमा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री डूंगरसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री मनीष पाण्डया, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 13.09.2019

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूतरगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–07–1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, सूरतगढ ने रिमाण्ड प्रकरण संख्या 399/1989 में निर्णय दिनांक 12–06–1998 से रामसिंह उर्फ रामरख के वारिसान अप्रार्थीगण संख्या–1 से 11 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15–एएए (2ए) के तहत रोही रत्तासर के खसरा नम्बर 79 की 57.07बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये है। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपील संख्या 44/1998 अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17–71999 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/767/2000/श्रीगंगानगर दिलीप सिंह बनाम रूकमा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णय न्याय, नियम एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि पटवारी हल्का सोमसर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रश्नोतरी का अवलोकन न कर निगराधीन निर्णय पारित किये है, जिससे सिद्ध है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण संख्या–1 लगायत 11 के पूर्वज रामसिंह का कब्जा काश्त सम्वत् 2017 तक नहीं था, इसलिए उक्त भूमि प्री–55 की नहीं होकर पोस्ट 55 की है। उनका कथन है कि तहसीलदार, सूरतगढ ने प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर प्राकृतिक न्याय की अवहेलना कारित की है। उनका कथन है कि तहसीलदार, सूरतगढ ने दिनांक 12–6–1998 को एक ही दिन में खातेदारी अधिकार प्रदान कर उसी दिन सनद जारी कर अत्यधिक शीघ्रता से निर्णय पारित कर सन्देहास्पद कार्यवाही सम्पादित की है जबकि उन्हें निर्णय पारित करते ही पत्रावली जिला कलक्टर के समक्ष विधिक परीक्षण हेतु भिजवाई जानी चाहिए थी। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उक्त तथ्यों की अनदेखी की गयी है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को निरस्त किया जाकर समुचित आदेश पारित किया जावे। इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि रामरख पुत्र जेठू दरोगा विवादित आराजी का सम्वत् 2011 का प्री–55 का काश्तकार था एवं बरवक्त जागीर अधिनियम उसकी हैसियत शिकमी काश्तकार के तौर पर थी। उनका कथन है कि उपायुक्त उपनिवेशन राज. नहर परियोजना बीकानेर के आदेश दिनांक 31–3–1968 की पालना में रामरख को आराजी काश्तकार मानते हुए भूतपूर्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/767/2000/श्रीगंगानगर दिलीप सिंह बनाम रूकमा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जागीरदार का नाम हटा कर उसे आराजी काश्तकार दर्ज किया है। रामरख के स्वर्गवास के उपरान्त उसके वारिसान विवादित आराजी पर निरन्तर काबिज होकर रकम राज जमा करा रहे है। उनका कथन है कि शिकमी काश्तकार को उपकृषक प्री–55 का माना गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत् है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष से विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिनमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना उचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है।

सर्वप्रथम हम प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 व धारा 5 मियाद अधिनियम दिनांक 19–11–2014 को निर्णीत करना उचित समझते है। प्रार्थनापत्र मे ंवर्णित अनुसार अप्रार्थी संख्या–2 रावतसिंह, अप्रार्थी संख्या–3 कालूसिंह व अप्रार्थी संख्या–6 लालसिंह एवं अप्रार्थी संख्या–9 केसर का देहान्त हो चुका है, जिन्हें विधिक वारिसान प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार है। अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार मृतक अप्रार्थीगण के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णय के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/767/2000/श्रीगंगानगर दिलीप सिंह बनाम रूकमा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का सोमसर दिनांक 7–2–1998 से खसरा नम्बर 79 की 57.07बीघा भूमि पर गोविन्द सिंह वगैरह बकाश्त एवं रामरख वल्द जेठाराम दरोगा 10बीघा बशरह पडत देह खातेदार दर्ज होना अंकित किया है। इसी प्रकार पत्रावली पर मौजूद जमाबन्दी सम्वत् 2044 एवं 2048 से 51 में भी कॉलम संख्या–4 में गोविन्द सिंह वगैराह एवं रामरख वल्द जेठा राम खातेदार दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 के कॉलम संख्या–16 में इन्तकाल संख्या–1 से गोविन्द सिंह व उम्मेदसिंह के नाम मन्जूर होने का नोट अंकित है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016 ता 19 में कुछ हिस्से पर काश्त रामरख वल्द जेठा की अंकित है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020 ता 21 में रामरख के साथ टिक्कू पुत्र मेधो जाट व बस्ती पुत्र गिरधारी की काश्त दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2022 ता 25 में गोविन्द सिंह वगैराह खातेदार दर्ज होकर उनकी 10बीघा पर काश्त दर्शित करते हुए अन्य 10बीघा पर रामरख दरोगा की काश्त दर्ज है। उक्त समस्त राजस्व अभिलेख एवं रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के पूर्वज उम्मेदसिंह व गोविन्दसिंह का विवादित आराजियात पर कब्जा तथा काश्त की प्रविष्टियां प्रतीत होती, किन्तु तहसीलदार, सूरतगढ ने धारा 15–एएए के प्रकरण में प्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित किये बिना अन्तिम निर्णय पारित कर प्रकरण का सारभूत तौर पर निस्तारण नहीं किया गया है। चूंकि प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य विवादित आराजी पर वर्ष 1955 से पूर्व काबिज होने का सदभावी विवाद मौजूद है तथा धारा 15एएए में दोनों पक्षों का सुनकर ही नियमानुसार विवादित आराजी की खातेदारी प्रदान करना न्यायसंगत होने से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, सूरतगढ को प्रतिप्रेषित किया जाना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/767/2000/श्रीगंगानगर दिलीप सिंह बनाम रूकमा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–7–1999 एवं तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–6–1998 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, सूरतगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे समस्त राजस्व अभिलेख का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए उभयपक्ष पक्ष को सुनकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

चूंकि प्रकरण वर्षो पुराना है अतः तहसीलदार, सूरतगढ को निर्देशित किया जाता है कि वे छः माह में प्रकरण का अन्तिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें।

पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11–10–2019 को तहसीलदार, सूरतगढ के न्यायालय में उपस्थिति होकर प्रकरण के शीघ्र निस्तारा में न्यायालय को सहयोग प्रदान करें।

निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य